भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

**राज्य सभा**

**आतारांकित प्रश्न संख्या 2815**

जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939(शक) को दिया जाना है।

**सीईएसटीएटी बेंगलुरु से फाइलों का गायब होना**

2815. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुरः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक सदस्य (न्यायिक) अपना स्थानांतरण होने के पश्चात् सभी फाइलों को सीमा शुल्क, उत्पाद कर और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) बैंगलुरू से दिल्ली ले आया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी संख्या में अपील संबंधी फाइलें खराब अथवा गायब हो गईं जिन्हें अब राजस्व तथा अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों की सहायता से सीईएसटीएटी द्वारा पुनः बनाया जा रहा है;

(ग) उक्त कारणों से प्रत्येक अपील में न्याय देने में अलग-अलग, अपील-वार, कितना विलंब हुआ; और

(घ) क्या न्याय प्रदान करने में उक्त विलंब हेतु जिम्मेदार सदस्य/अधिकारियों के विरुद्ध अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों का उत्पीड़न करने के लिए अध्यक्ष, सीईएसटीएटी या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)**

(क): श्री एस.के. मोहन्ती, सदस्य (न्यायिक) द्वारा अपना स्थानांतरण सीईएसटीएटी (दिनांक 19.11.2014 के आदेश के तहत) बैंगलुरू से दिल्ली में होने के पश्चात 53 लंबित फाईलें लाई गई थीं।

(ख): शून्य। कोई फाइल खराब अथवा गायब नहीं हुई थी।

(ग): उपर्युक्त (ख) को देखते हुए लागू नहीं होता। इसके अलावा यह बताया जाता है कि सीईएसटीएटी नियमों के अनुसार सभी आदेश खुले न्यायालय में घोषित और प्रदान किए गए थे।

(घ): जी, नहीं।

\*\*\*\*\*